पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20.05.2015 के संबंध में उर्वरक संयंत्रों को आरएलएनजी की आपूर्ति हेतु बोलियों में भागीदारी के लिए घरेलू आरएलएनजी बोलीदाताओं के लिए ईपीएमसी द्वारा अनुमोदित पात्रता मानदंड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग, व्यय विभाग, पीपीएसी, एफआईसीसी और गेल (पूल प्रचालक) के प्रतिनिधियों से युक्त अधिकारप्राप्त पूल प्रबंधन समिति (ईपीएमसी) की दिनांक 23 मार्च, 2016 को संपन्न बैठक में समिति ने निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को अनुमोदित किया है जिसकी जांच पूल प्रचालक द्वारा की जाएगी तथा उसे अनुमोदन के लिए अथवा सूचीबद्ध किए जाने वाले नए/अतिरिक्त बोलीदाताओं हेतु अन्यथा रूप में, जो भी स्थिति हो, ईपीएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा :-

क. पुन:गैसीकरण टर्मिनल तक पहुंच:

- पार्टी के पास स्वयं अथवा उसकी मूल कंपनी के माध्यम से भारत में पुन:गैसीकरण टर्मिनल के साथ वैध करार हो अथवा
- पार्टी भारत में पुन:गैसीकरण टर्मिनल का स्वामी हो तथा उसका प्रचालन करती हो।
- पार्टी के पास भारत में किसी भी आरएलएनजी आपूर्तिकर्ता/एलएनजी आपूर्तिकर्ता के साथ गैस विक्रय और क्रय का वैध करार हो।

ख. गैस परिवहन नेटवर्क के तक पहुंच:

- पार्टी ने अधिसूचित उर्वकर संयंत्रों को आरएलएनजी के परिवहन हेतु संविदगत मार्ग हेतु पाइपलाइन प्रचालकों के साथ ढांचागत गैस परिवहन करार (जीटीए) किया हो।

ग. आरएलएनजी आपूर्ति क्षमता:

- पार्टी ने भारत में ग्राहकों को पिछले 12 महीने में कम से कम 70 एमएमएससीएम के बराबर आरएलएनजी/प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की हो।

इच्छुक घरेलू आरएलएनजी आपूर्तिकर्ताओं को ईपीएमसी के अनुमोदन हेतु पूल प्रचालक के समक्ष उपर्युक्त मानदंडों के समर्थन में निम्नवर्णित पते पर पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य प्रबंधक (विपणन-आईजीएस)
गेल (इंडिया) लिमिटेड
16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम
नई दिल्ली, भारत – 110066
ई-मेल : igs@gail.co.in
फोन : +91-11-41455528